

वेवसाई में त्रे
नाम प्रकृति को
16/4/26

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल

// आदेश//

भोपाल, दिनांक 25/03/2026

क्रमांक /209/2018/38-3:- राज्य शासन द्वारा महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के साधारण परिषद के गठन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा-11 (1) (आठ) में प्रावधान अनुसार निम्नानुसार सदस्यों का मनोनयन किया जाता है:-

धारा-11(आठ) अनुसार मध्यप्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से संस्कृत अध्यापक/आचार्य के छह प्रतिनिधि:-

1. डॉ. भरत वैरागी, क्षेत्र संयोजक, संस्कृत भारती, ई-31, 45 बंगला, भोपाल ।
2. प्रो. श्री राधिका प्रसाद मिश्र, संस्कृत विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवलपुर ।
3. डॉ. मनीषा खेमरिया, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, ग्वालियर ।
4. डॉ. सिद्धनाथ खजूरिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, संस्कृत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ ।
5. डॉ. हरेन्द्र भार्गव, प्राचार्य, पीताम्बरा पीठ महाविद्यालय, दतिया ।
6. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, पूर्व व्याख्याता, शासकीय रामानंद संस्कृत महाविद्यालय, भोपाल ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक /209/2018/38-3

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।

3. कुलगुरु/कुलसांचेव, महाष पाणाने सस्कृत एव वीदेक विधावेद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)
4. कुलगुरु/कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
5. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित सदस्यगण (06)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Digitally signed by
Beeran Singh Bhalavi
Date: 25-03-2026
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
25:37:36